



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062026-273887
CG-DL-E-27062026-273887

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3282]

नई दिल्ली बृहस्पतिवार, जून 25, 2026/ आषाढ 4, 1948

No. 3282]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 25, 2026/ ASHADHA 4, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2026

का.आ. 3416 (अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 64.9 किमी से 89.9 किमी के NH347-B तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH347-B तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अनुविभागीय अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH347-B के कि.मी 64.9 से कि.मी 89.9 तक	मध्य प्रदेश	खंडवा	खालवा	1 अवल्या 2 चट्टू बट्टू 3 झिझरी 4 बगड़ा 5 भागपुरा

[फा.सं. Betul-Khandwa/DPR/Chw/2018/3]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2026

S.O. 3416 (E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 64.9 to Km. 89.9 of the NH347-B for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH347-B in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	Sub-Divisional officer	NH347-B KM 64.9 TO KM 89.9	MADHYA PRADESH	KHANDWA	Khalwa	1 Awaliya 2 Chattu Battu 3 Jhijhari 4 Bagda 5 Bhagpura

[F. No. Betul-Khandwa/DPR/Chw/2018/3]

SHAIKH AMINKHAN, Director